

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १७ सन् २०१६

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-३) विधेयक, २०१६

वित्तीय वर्ष २०१६-२०१७ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-३) अधिनियम, २०१६ है. संक्षिप्त नाम.
- मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये चौदह हजार तीन सौ सड़सठ करोड़ चौवन लाख चौबीस हजार नौ सौ केवल होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत वित्तीय वर्ष २०१६-२०१७ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी. वित्तीय वर्ष २०१६-१७ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये १,४३,६७,५४,२४,९०० का दिया जाना.
- इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी. विनियोग.

अनुसूची
(धारा २ और ३ देखिये)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवायें और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
		विधान सभा द्वारा मतदत्त	संचित निधि पर भारत	योग
		रुपये	रुपये	रुपये
०१.	सामान्य प्रशासन	राजस्व २,५६,८०,४००	१,१२,६५,७००	३,६९,४६,१००
०२.	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व २००	०	२००
०३.	पुलिस	राजस्व ९७,४१,४७,९०० पूंजी ९०,००,००,०००	०	९७,४१,४७,९०० ९०,००,००,०००
०४.	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व ६,००,४७,०००	०	६,००,४७,०००
०६.	वित्त	राजस्व ३००	०	३००

(१)	(२)	(३)	(३)	(३)
		रुपये	रुपये	रुपये
०७.	वाणिज्यिक कर	राजस्व	४,९२,००,०००	४,९२,००,०००
०८.	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	६,७०,५६,१००	६,७०,५६,१००
११.	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	राजस्व	२,६३,१८,०५,०००	२,६३,७४,८३,४००
		पूँजी	७,०१,१३,००,०००	७,०१,१३,००,०००
१२.	ऊर्जा	राजस्व	१०,००,००,००,०००	१०,००,००,००,०००
		पूँजी	२१,००,००,०००	२१,००,००,०००
१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राजस्व	१३,३१,००,००,१००	१३,३१,००,००,१००
१५.	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	४,४६,६७,३२,०००	४,४६,६७,३२,०००
१६.	मछली पालन	राजस्व	९०,००,०००	९०,००,०००
१७.	सहकारिता	राजस्व	८,६०,२५,००,०००	८,६०,२५,००,०००
		पूँजी	५,६९,६४,३४,०००	५,६९,६४,३४,०००
१८.	श्रम	राजस्व	१०,००,०००	१०,००,०००
१९.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	१००	१००
२०.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	पूँजी	१,०००	१,०००
२१.	लोक सेवा प्रबंधन	राजस्व	५,००,००,०००	५,००,००,०००
२२.	नगरीय विकास एवं पर्यावरण	राजस्व	४,९१,९७,००,२००	४,९१,९७,००,२००

(१)	(२)	(३)	(४)
		रुपये	रुपये
२३.	जल संसाधन	पूँजी ५,००,२०,००,५००	० ५,००,२०,००,५००
२४.	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	राजस्व १०० पूँजी १,५०,००,१०,४००	० १०० ० १,५०,००,१०,४००
२५.	खनिज साधन	राजस्व ८८,६८,०००	० ८८,६८,०००
२६.	संस्कृति	राजस्व १०,९५,२५,१००	० १०,९५,२५,१००
२७.	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	राजस्व १३,४५,००,०००	० १३,४५,००,०००
२८.	राज्य विधान मंडल	राजस्व ६,२५,००,०००	१८,००,००० ६,४३,००,०००
२९.	विधि और विधायी कार्य	राजस्व ७३,२५,३३,०००	७,८५,४०,००० ८१,१०,७३,०००
३२.	जनसंपर्क	राजस्व १५,००,००,०००	० १५,००,००,०००
३४.	सामाजिक न्याय	राजस्व ३,१५,०५,६००	० ३,१५,०५,६००
३७.	पर्यटन	पूँजी १०,००,००,३००	० १०,००,००,३००
३८.	आयुष	राजस्व १०,४५,००,०००	० १०,४५,००,०००
३९.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	राजस्व २,६६,०८,७३,५०० पूँजी ६,४५,००,०००	० २,६६,०८,७३,५०० ० ६,४५,००,०००
४०.	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	राजस्व २,४०० पूँजी ३५,००,००,१००	० २,४०० ० ३५,००,००,१००

